कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी में शामिल अपराधी को तीन साल की सजा

प्रेस विज्ञप्ती (**39/26,** दिनांक **30.06.2026)**

माननीय तेईसवें अपर सत्र न्यायालय भोपाल के द्वारा दिनांक 27-06-2026 को दुर्लभ वन्यजीव सैंडबोआ की तस्करी के 10 साल पुराने अपराध क्रमांक 01/2016 दिनांक 07-01-2016 में आरोपी प्रतीक सिंह बोहरा को तीन साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल व एसटीएफ पुलिस के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 07-01-2016 को मिनाल इन्क्लेव, गुलमोहर के पास काले रंग की सफारी वाहन में कुछ लोग दुर्लभ सैंडबोआ बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल व एसटीएफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाहन से सैंडबोआ बरामद हुआ। मौके से अमन उर्फ हनी, लोकेश उर्फ मलिक, विजय उर्फ विज्जू, प्रतीक सिंह बोहरा और ब्रजेश पटेल को पकडकर अभिरक्षा में लेकर एसटीएफ पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में लम्बे समय से फरार आरोपी प्रतीक सिंह बोहरा को एसटीएफ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल ने दोषी ठहराया हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में आरोपी क्रमशः अमन सक्सेना, लोकेश मेहरा, विजय वर्मा और अमित चौहान को वर्ष 2022 में तीन-तीन साल की सजा हो चुकी थी। उक्त प्रकरण में वैज्ञानिक तकनीकी, फॉरेन्सिक लैंब में आरोपियों के मोबाइल से मिले सैंडबोआ के वीडियो को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना व शासन की ओर से एसटीएसफ पुलिस के अलावा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के 02 शासकीय सेवक भी अभियोजन कार्यवाही में साक्षी के रूप में शासन का ठोस पक्ष रखा गया, साथ ही प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अधिकारियों के द्वारा की गई ठोस पैरवी महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल